



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 माघ 1942 (श0)

(सं0 पटना 63) पटना, शुक्रवार, 22 जनवरी 2021

IE ,y@,pEt hE&301@2016& 330

x'g foHkkx

(विशेष शाखा)

Idyi

18 tuojuh 2021

fo"k;,& बिहार पुलिस की भांति बिहार गृह रक्षा वाहिनी के वैतनिक सिपाही, अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड-1 को क्रमशः पी०बी०-1 + ग्रेड पे 2000, पी०बी०-1 + ग्रेड पे 2400 एवं पी०बी०-1 + ग्रेड पे 2800 का दिनांक- 01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक-21.01.2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-5027, दिनांक-17.05.2013 की कंडिका- 5(1)(क), (ख) एवं (ग) के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-2409, दिनांक-23.03.2018 द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण वैतनिक सिपाही, अधिनायक, अधिनायक ग्रेड-1 को क्रमशः बिहार पुलिस के सिपाही, हवलदार एवं सहायक अवर निरीक्षक की भांति लेवल-3, लेवल-4 एवं लेवल-5 का वेतन विभागीय अधिसूचना सं०-4412 दिनांक-23.05.2017 निर्गत किए जाने की तिथि से अनुमान्य किया गया है तथा विभागीय अधिसूचना सं०-9253, दिनांक-13.09.2019 बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली-2017 (विभागीय अधिसूचना सं०-4412, दिनांक-23.05.2017 के द्वारा निर्गत) के अधिसूचित होने के पूर्व की तिथियों में नियुक्त/प्रोन्नत बिहार गृह रक्षा वाहिनी के सिपाही, अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड-1, जिनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक/नन मैट्रिक है, को सप्तम वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वेतन लेवल क्रमशः लेवल-3, लेवल-4 एवं लेवल-5, दिनांक-23.05.2017 से अनुमान्य किया गया है।

2. तदुपरांत विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय जाँच समिति की अनुशंसा के आलोक में गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के संकल्प ज्ञापांक-9615, दिनांक-12.11.2018 द्वारा सिपाही, हवलदार एवं सहायक अवर निरीक्षक को षष्ठम वेतन पुनरीक्षण के आलोक में उत्क्रमित वेतनमान क्रमशः पी०बी०-1 + ग्रेड पे 2000, पी०बी०-1 + ग्रेड पे 2400 एवं पी०बी०-1 + ग्रेड पे 2800 का दिनांक-01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक-21.01.2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त के आलोक में बिहार पुलिस की भांति गृह रक्षा वाहिनी सेवा के वैतनिक सिपाही, अधिनायक, अधिनायक ग्रेड-1 (इंटरमीडिएट उत्तीर्ण/पूर्व से नियुक्त मैट्रिक एवं नन मैट्रिक) को भी षष्ठम वेतन पुनरीक्षण के आलोक में उत्क्रमित वेतनमान क्रमशः पी०बी०-1 + ग्रेड पे 2000, पी०बी०-1 + ग्रेड पे 2400 एवं पी०बी०-1 + ग्रेड पे 2800 का दिनांक-01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक-21.01.2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन था।

4. अतएव सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा बिहार पुलिस की भांति बिहार गृह रक्षा वाहिनी के वैतनिक सिपाही, अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड-1 को पी०बी०-1 + ग्रेड पे 2000, पी०बी०-1 + ग्रेड पे 2400 एवं पी०बी०-1 + ग्रेड पे 2800 में दिनांक-01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक-21.01.2010 से वास्तविक लाभ निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है:-

- (i) इस उत्क्रमण/संशोधन के उपरांत मात्र ग्रेड पे की अंतर राशि और उस पर अनुमान्य मंहगाई भत्ता की राशि भुगतेय होगी तथा पुनः पुनरीक्षण/निर्धारण लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
- (ii) दिनांक-01.01.2006 के पूर्व एवं बाद में प्राप्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का वेतनमान भी तदनुसार संशोधित हो जायेंगे, जिसका दिनांक-01.01.2006 से वैचारिक लाभ तथा दिनांक-21.01.2010 से वास्तविक लाभ अनुमान्य होगा। दिनांक-01.01.2006 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को इस उत्क्रमित वेतनमान का लाभ संकल्प सं०-630, दिनांक-21.01.2010 के शिड्यूल-II के अनुरूप अनुमान्य होगा।
- (iii) उपर्युक्त वेतन संरचना के फलस्वरूप बिहार गृह रक्षा वाहिनी के वैतनिक कर्मियों को ए०सी०पी० प्रोन्नति के पदसोपान के वेतनमान में तथा दिनांक-01.01.2009 से प्रभावी एम०ए०सी०पी० ठीक उपर के ग्रेड पे में (न कि प्रोन्नति वाले ग्रेड पे में) स्वीकृत किया जाएगा। पूर्व में वित्तीय उन्नयन स्वीकृत होने की स्थिति में इस संशोधन के पश्चात् पुनः निर्धारण लाभ के बजाय अंतर राशि भुगतेय/सामंजित होगी।
- (iv) उपर्युक्त प्रस्तावित प्रावधान लागू होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं०-2409, दिनांक-23.03.2018 एवं अधिसूचना सं०-9253, दिनांक-13.09.2019 निष्प्रभावी माने जाएंगे।

आदेश :-

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

fcgkj&jkT;iky dī vkn'k lī
foey'k dekj >kj
l jdkj dī lī;Dr l fpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 63-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>